Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

WR

(1) प्रकरण संख्या– अपील/टीए/6014/2003/चितौडगढ

1. हीरालाल पुत्र ऊॅकार धाकड निवासी ग्राम लिकोडा तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ
2. राजमल पुत्र अम्बालाल महाजन निवासी बडी सादडी जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बडी सादडी
2. नाथू पुत्र वक्ता मृतक जरिये वारिसान–

2/1. मु. तुलछी बाई बेवा नाथूलाल
2/2. शान्तिलाल
2/3. मनोहरलाल
2/4. छोटूलाल पुत्रगण नाथूलाल
2/5. लीलाबाई पुत्री नाथूलाल
2/6. कौशल्याबाई पुत्री नाथूलाल
2/7. राजूडी पुत्री नाथूलाल
सभी जाति चमारिया निवासी लिकोडा तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ

3. दौला पुत्र तेजा धाकड मृतक जरिये वारिसान –

3/1. मु. भूरी पुत्री दौला पत्नी देवीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बाबा का खेडा तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ

–प्रत्यर्थीगण

(2) प्रकरण संख्या– अपील/टीए/6093/2003/चितौडगढ

1. हीरालाल पुत्र ऊॅकार धाकड निवासी ग्राम लिकोडा तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ
2. राजमल पुत्र अम्बालाल महाजन निवासी बडी सादडी जिला चितौडगढ

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नाथू पुत्र वक्ता मृतक जरिये वारिसान–

1/1. मु. तुलछी बाई बेवा नाथूलाल
1/2. शान्तिलाल
1/3. मनोहरलाल
1/4. छोटूलाल पुत्रगण नाथूलाल
1/5. लीलाबाई पुत्री नाथूलाल
1/6. कौशल्याबाई पुत्री नाथूलाल
1/7. राजूडी पुत्री नाथूलाल

सभी जाति चमारिया निवासी लिकोडा तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ

2. दौला पुत्र तेजा धाकड मृतक जरिये वारिसान –

2/1. मु. भूरी पुत्री दौला पत्नी देवीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बाबा का खेडा तहसील बडी सादडी जिला चितौडगढ

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बडी सादडी

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री पूर्णाशंकर दशौरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण

श्री वी.पी. सिंह राजावत, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सरकार

निर्णय

दिनांक 07.03.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा अपील संख्या 142/2001 एवं 180/2001 में पारित निर्णय दिनांक 17–09–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य विवाद बिन्दू एवं विवादित भूमि के समान होने एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही अपीलाधीन निर्णय से किये जाने के कारण इन दोनों अपीलों का निस्तारण विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ किया जा रहा है, निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बडी सादडी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर

कथन किया कि विपक्षी संख्या–1 नाथू के नाम पर ग्राम लिजोडा में खाता संख्या 64 पर आराजी किता 5 कुल रकबा 17बीघा 17बिस्वा संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से अप्रार्थी संख्या–1 नाथू ने अपने खाते की आराजियात में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या–2 दौला को दिनांक 28–05–1977 को विक्रय कर दिया, जिससे धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघन हुआ है। अतः विपक्षीगण को बेदखल किया जाकर भूमि बिलानाम दर्ज कर कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। विपक्षी संख्या–2 द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा तीन वाद बिन्दू कायम किये एवं बाद साक्ष्य सबूत निर्णय दिनांक 2–1–1979 से वाद को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–10–1980 से स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1–7–1987 से पुनः वाद को खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–05–1988 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष दौला वगैराह की ओर से अपील प्रस्तुत की गयी, जो मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–08–1994 विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा हीरालाल व राजमल को पक्षकार बनाया गया, जिनकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र में दिनांक 14–02–2001 को अनुतोष सहित तीन तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर प्रस्तुत

प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघन नहीं होना मानते हुए तहसीलदार, बडी सादडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निर्णय दिनांक 31–03–2001 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध नाथू पिता वख्ता की ओर से अपील संख्या 142/2001 एवं राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, बडी सादडी की ओर से अपील संख्या 180/2001 राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–09–2003 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–22001 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में दोनों अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र पर विपक्षी का जवाब तलब करने के उपरान्त मूल वाद में तीन तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त कायम की गयी तनकीयात के निर्णय में यह माना कि अप्रार्थी संख्या–1 चमारिया जाति का है, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति में नहीं आती है। वाद निर्णय

दिनांक 2–1–1979 से खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–10–1980 से स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि अप्रार्थी संख्या–1 अनुसूचित जाति काहै अथवा नहीं, के बाबत् साक्ष्य ली जाकर वाद पुनः निर्णीत करें। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षण कर एवं शहादत लेने के उपरान्त पारित निर्णय दिनांक 1–7–1987 से अप्रार्थी संख्या–1 को अनुसूचित जाति का नहीं होना मानते हुए वाद को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–05–1988 से स्वीकार कर प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–08–1994 में यह निर्देशित किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 नाथू चमारिया जाति का सदस्य है या नहीं, यह जाति अनुसूचित जाति में आती है या नहीं, उसकी तहकीकाम करके प्रकरण के गुणदोष पर निर्णय हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी। मण्डल द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा हीरालाल व राजमल को पक्षकार बनाया गया, जिनकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किया। दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा मूल वादपत्र में दिनांक 14–02–2001 को अनुतोष सहित तीन तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर प्रस्तुत प्रकरण चमारिया जाति अनुसूचित जाति में नहीं आती है, मानते हुए तहसीलदार, बडी सादडी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निर्णय दिनांक 31–03–2001 से खारिज कर दिया। उनका कथन है कि प्रकरण बार बार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा रहा है, जो विधिक रूप से

त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित करने के कोई आधार उपलब्ध नहीं थे। उनका कथन है कि राज्य सरकार द्वारा जारी सूची के मुताबिक ही अनुसूचित जाति का निर्धारण करना है। चमारिया जाति अनुसूचित जाति की सूची में उल्लेखित नहीं होने से प्रस्तुत प्रकरण में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघन नहीं हुआ है। उनका कथन है कि राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय 1990 आरआरडी पेज 617 में चमारिया जाति को अनुसूचित जाति में नहीं माना है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2001 की पुष्टि की जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में 1969 एआईआर एससी पेज 597, 1981 आरआरडी पेज 571, 1984 आरआरडी पेज 380 एवं 1990 आरआरडी पेज 617 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6. इसके विपरीत योग्य राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख–1 नाथू की जाति चमारिया होना माना है जबकि अनुसूचित जाति की सूची में चमार/ चमारिया दर्ज है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी को सवर्ण जाति का मानकर वादपत्र को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप द्वितीय अपील के माध्यम से किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज किया जावे।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, बडी सादडी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि विपक्षी संख्या–1 नाथू के नाम पर ग्राम लिजोडा में खाता संख्या 64 पर आराजी किता 5 कुल रकबा 17बीघा 17बिस्वा संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, जिसमें से अप्रार्थी संख्या–1 नाथू ने अपने खाते की आराजियात में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या–2 दौला को दिनांक 28–05–1977 को विक्रय कर दिया, जिससे धारा 42–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघन हुआ है। अतः विपक्षीगण को बेदखल किया जाकर भूमि बिलानाम दर्ज कर कब्जा प्रार्थी को दिलवाया जावे। तहसीलदार, बडी सादडी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अभिलिखित कथनों के आधार पर हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में मुख्य निर्धारण योग्य बिन्दू यह है कि क्या चमारिया जाति अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित है अथवा नहीं ?

8. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1990 आरआरडी पेज 617 में चमारिया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित नहीं होना माना गया है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा उद्धरित अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1969 एआईआर एससी पेज 597, 1981 आरआरडी पेज 571 उपं 1984 आरआरडी पेज 380 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुसूचित जाति की जो जातियां अधिसूचना में अंकित है, उसी जाति के व्यक्तियों को

अनुसूचित जाति का सदस्य माना जावेगा, अन्य जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का सदस्य होना नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी संख्या–1 नाथू की जाति राजस्व अभिलेख में चमारिया दर्ज है, जो अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लघंन होना नहीं माना जा सकता।

9. प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, तत्पश्चात् प्रतिप्रेषित निर्णयों की अनुपालना में उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध किये जाने के उपरान्त तनकीवार निर्णय में चमारिया जाति को अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में अंकित नहीं होने से प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लघन नहीं होना मानते हुए वाद को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः निर्देशों के साथ बार–बार विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–09–2003 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडी सादडी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–03–2001 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष